न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0227/2021 तारीख रजू:– 31.05.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. धर्मी पुत्र सोना
2. राजाराम पुत्र धर्मी
3. दुल्ली — पिसरान सम्पत
4. बल्ली
5. पांची — पुत्रियों मोहरसिंह
6. छटंकी
7. द्रो पुत्री सम्पत
8. अमरो पुत्री सम्पत
9. मुलिया पुत्री सम्पत

जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा

तहसील हिण्डौन जिला करौली

10. विमलेश पुत्री देवीसिंह
11. अनीता पुत्री देवीसिंह
12. रघुवर पुत्र देवीसिंह

नावालिगान जरिये पिता खुद देवीसिंह जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा हाल निवासी झिरना तह0 हिण्डौन जिला करौली

राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1. श्रीमती जग्गो पत्नि जिलेदार जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. बबली पुत्री जिलेदार जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा तहसील हिण्डौन हाल निवासी मण्डावरा फाटक, पटैल नगर हिण्डौन जिला करौली–– गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायलान
2. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 14-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया है कि सायलान ने गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं03 के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् विभाजन एवं घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अदालत हाजा में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायल सं02 राजाराम 2/7 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार है तथा गैरसायल सं0 1 व 2 का 5/14, 5/14 के हिस्सेदार खातेदार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायल सं02 का 1/3 हिस्सा, सायल नं0 3 व 4 का 1/18 , 1/18 हिस्सा के तथा वादी/ सायल सं0 5 व 6 का 1/21 व 1/21 का तथा सायल सं0 7,8,9 का 1/18 व 1/18 हिस्से की तथा सायल सं0 10,11,12 का 1/54, 1/54 के खातेदार हिस्सेदार हैं तथा गैरसायल सं01 व 2 भी 5/42, 5/42 हिस्से के खातेदार हिस्सेदार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें सायल नं0 5 व 6 का 1/7,1/7 के तथा गैरसायल सं0 1 व 2 का 5/14, 5/14 के हिस्सेदार खातेदार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 ता 3 में वर्णित आराजीयात के सायलान व गैरसायल सं01 व 2 ने बाहमी बंटवारा कर अने अपने हिस्से पर मौके पर कब्जा काश्त है, लेकिन उक्त आराजीयात भूमि का अभी लीगल बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके कारण गैरसायल सं01 व 2 अपने हिस्से को लेकर सायलान से हमेशा लडाई झगडा करते रहते हैं। सायलान ने गैरसायल नं01 व 2 से काफी समझाईस की कि आप उक्त आराजीयात भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करवा कर अलग अलग खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कायम करना लेते हैं, लेकिन गैरसायलान इस बात पर भी सहमत नहीं होते, तथा सायलान ने उक्त आराजीयात भूमि में से गैरसायल नं01 व 2 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि दिनांक 18.05.2021 को सायलान अपने अपने हिस्से की भूमि में से कूड़ा करकट को हटाकर साफ सफाई कर रहे थे तो गैरसायल नं01 व 2 नाराज हो गये और सायलान से गाली गलौच करने लग गये इस कारण सायलान व गैरसायल नं01 व 2 के मध्य उक्त आराजीयात जो कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 ता 4 में वर्णित है का लीगल बंटवारा कर अलग अलग खसरा नम्बर कायम कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिससे कि सायलान व गैरसायलान के मध्य उत्पन्न विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जावे।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 क्रूर प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो सायलान को उक्त आराजीयात भूमि के विभाजन व हिस्से को लेकर तंग व परेशान करते रहे हैं तथा भविष्य में सायलान को उनके हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने व करवाने पर आमादा हैं तथा सायलान के हिस्से की आराजीयात को बिना कानूनी बंटवारा के रहन वय करने पर आमादा है, इस प्रकार गैरसायल नं01 व 2 तब तक अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आयेंगे, जब तक उक्त आराजीयात भूमि का कानूनी बंटवारा कर अलग अलग खसरा नम्बर कायम कर खातेदार घोषित नहीं किया जावेगें।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को वादग्रस्त आराजीयात मुतजिका मद नं02 खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन तथा आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र खसरानम्बर 627 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तथा आराजीयात मुतजिका मद नं04 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 636 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में उनके हिस्से की आराजीयात में काश्त करने से एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, सायलान की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करें, वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाये बिना उक्त आराजीयात का कोई भी भाग रहन वय एवं हस्तातंरण नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा मिन गैरसायलान के विरूद्ध दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना स्वीकार है। उक्त दावे के नोटिस आज तक गैरसायलान को प्राप्त नहीं हुए हैं। वकील वादी ने आज दिन तक मिन गैरसायलान को दावे की नकल प्रदान नहीं की है, दावा वेसूद है, जिसमें सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0 79 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा में 5/14, 5/14 हिस्सा दर्ज है, सायल राजाराम का केवल 2/7 हिस्सा दर्ज है। मिन गैरसायलान ने कभी उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाने से कभी इंकार नहीं किया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 627 वाके ग्राम बाजनाखुर्द में गैरसायल जग्गो का 5/42, एवं बबली का 5/42 हिस्सा दर्ज है, शेष हिस्सा दीगर खातेदारों का है, मिन गैरसायलान ने उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाने से कभी इंकार नहीं किया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 0.17 है0 में मिन गैरसायलान सं01 व 2 का 5/14, 5/14 हिस्सा दर्ज है, शेष हिस्सा छटंकी व पांची का है, मिन गैरसायलान ने कभी भी उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाने से कभी इंकार नहीं किया। वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है, सायलान ने लट्ठ व ताकत के बल पर मिन गैरसायलान को गांव से निकाल दिया है, गैरसायलान हिण्डौन निवास करते हैं, वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन किये जाने में मिन गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है। सायलान ने सारे आरोप झूंठे व गलत लगाये हैं, मिन गैरसायलान अनपढ, गरीब कमजोर महिलाऐंह जबकि सायलान गिरोहबन्द झगडालू व खूंखार किस्म के व्यक्ति हैं जो लट्ठ व ताकत के बल पर मिन गैरसायलान की रिकोर्डेड खातेदारी की भूमि को छीनना चाहते हैं। इस आशय से झूंठे तथ्यों आधार पर न्यायालय में यह प्रकरण पेश किया गया है, जिसमें दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। सायलान व गैरसायलान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है, मिन गैरसायलान को मिन गैरसायलान की खातेदारी व हिस्से की भूमि को लट्ठ व ताकत के बल पर काश्त नहीं करने देते हैं। मिन गैरसायलान को इन लोगों ने मारपीट कर गांव से निकाल दिया है, काश्त करने जाते हैं तो झगडा करते हैं एवं गोली मारने की धमकी देते हैं। ये लोग मिन गैरसायलान के हिस्से की भूमि को छीनने पर आमादा है। इन लोगों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जो उनकी संख्या से विधित होता है। सायलान का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्राईमाफेसी केस कतई साबित नहीं है। सायलान का प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 18.05.2021की घटना कल्पना के आधार पर दर्ज की गई है,सायलान ने न्यायालय से झूंठे व गलत कथनों के आधार पर टी.आई. प्राप्त करने हेतु गलत तथ्य दर्ज किये हैं। मिन गैरसायलान गांव में रहते नहीं है वरण हिण्डौन रहते हैं, इसलिए दिनांक 18.05.2021 को मिन गैरसायलान द्वारा गाली गलौंच करने की बात कल्पना के आधार पर दर्ज की गई है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। मिन गैरसायलान ने कभी भी सायलान को उनके हिस्से की आराजी काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं की, वरण स्वंय सायलान मिन गैरसायलान को उनके हिस्से की आराजी काश्त नहीं करने देते हैं। विधिवत विभाजन किये जाने में सायलान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। खुलाशा विशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। मिन गैरसायलान संख्या में केवल दो हैं जबकि सायलान 12 व्यक्ति हैं तथा उनका परिवार है, मिन गैरसायल सं01 करीब 80 वर्षीय वृद्ध महिला है, जिसके द्वारा किसी को बाधा उत्पन्न करना सम्भव नहीं है। सुख सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं है वरण मिन गैरसायलान के पक्ष में साबित है। खुलाशा विशेष विवरण में दर्ज है।

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायलान वादग्रस्त आराजी की रिकोर्डेड खातेदार टीनेन्ट हैं, कानूनन रिकोर्डेड खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती है, मिन गैरसायलान ने कभी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भी भूमि विभाजन करवाने से इंकार नहीं किया, गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र टी. आई. में दावे के सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए कानूनन प्रार्थना पत्र टी.आई. मेन्टेनेबिल नहीं है। राजस्व मण्डल अजमेर के सर्कूलर के आधार पर दावे के सभी पक्षकारों को टी.आई. में भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। जिससे उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष आ सके।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि गैरसायलान का सहखातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि में खातेदारी अधिकार है, विधिवत विभाजन करवाये बिना गैरसायलान को सहखातेदारी की भूमि के लिए पाबन्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थना पत्र टी.आई. इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। विभाजन की डिक्री जारी किये जाने में मिन गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायलान स्वच्छ हृदय से न्यायालय में नहीं आये हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र टी.आई. में कोई प्रतिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 –73, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 किता 2 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 –73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी जग्गो पत्नि जिलेदार हि0 5/14, बबली पुत्री जिलेदार हिस्सा 5/14, राजाराम पुत्र धर्मी हिस्सा 2/7 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी नाबालिग अनीता पुत्री देवीसिंह हि0 1/54, अमरो पुत्री सम्पत हि0 1/18, छटंकी पुत्री मोहरसिंह हि0 1/21 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, जग्गो पत्नि जिलेदार हिस्सा 5/42, बबली पुत्री जिलेदार हि0 5/42 जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा खातेदार, द्रो पुत्री सम्पत हि0 1/18, दुल्ली पुत्र सम्पत हि01/18, धर्मी पुत्र सोना हि0 1/3, पांची पुत्री मोहरसिंह हि01/21, मुलिया पुत्री सम्पत हि01/18, नाबालिग रघुवर पुत्र देवीसिंह हि0 1/54, वल्ली पुत्र सम्पत हि01/18, नाबालिग विमलेश पुत्री देवीसिंह हि0 1/54 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी छटंकी पुत्री मोहरसिंह हि0 1/7, जग्गो पत्नि जिलेदार हिस्सा 5/14, पांची पुत्री मोहरसिंह हि01/7, बबली पुत्री जिलेदार हि0 5/14 जाति गुर्जर निवासी गैदूपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2, 3 व 4 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के सायलान एवं गैरसायलान मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं और संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं के कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 78 रकबा 0.19 है0, 79 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गैदूपुरा तहसील हिण्डौन तथा आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 31.05.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ....[illegible]........ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
हिण्डौन सिटी (करौली)